क्रम-संख्या 189(क-1)

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, बुधवार, 7 अक्टूबर, 2020 ई0
(आश्विन 15, 1942 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या जी-16610/दस-लाइसेंस.-57/बोतल भराई नियमावली/2020

प्रयागराज, दिनांक : 07 अक्टूबर, 2020 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि-61

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 1969 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 2020

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2–नियम–2 का संशोधन–उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 1969 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2(1) (क) आबकारी आयुक्त द्वारा बोतलों में भरने का लाइसेंस प्रपत्र वि0म0-3 में निम्न को स्वीकृत किया जा सकता है–	**2(1) (क)** आबकारी आयुक्त द्वारा बोतलों में भरने का लाइसेंस प्रपत्र वि0म0-3 में निम्न को स्वीकृत किया जा सकता है–
[एक] आसवक (डिस्टिलर) को स्प्रिट की बोतल भराई,	**[एक]** आसवक (डिस्टिलर) को स्प्रिट की बोतल भराई के लिये
[दो] यवासवक (ब्रुअर) को बियर की बोतल भराई, और	**[दो]** यवासवक (ब्रुअर) को बियर की बोतल भराई के लिये, और
[तीन] द्राक्षासवक (विन्टनर) को वाइन, की बोतल भराई के लिए और	**[तीन]** द्राक्षासवक (विन्टनर) को वाइन की बोतल भराई के लिए, और
[चार] पी0डी-33 लाइसेंस धारण करने वाली ऐसी कम्पनी या इकाई, जिसका न्यूनतम रू0 52 करोड़ का निवेश तथा न्यूनतम 40 के0एल0 प्रतिदिन की क्षमता हो, को रूपया 25 लाख की बैंक प्रत्याभूत सहित शपथ-पत्र द्वारा यह आश्वासन तथा प्रतिबद्धता प्रदान करने पर कि उसे स्प्रिट की बोतल भराई हेतु एफ0एल0–3 लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर पेय आसवनी अधिष्ठापित करना होगा, पेय आसवनी स्थापित करने के लिये, यदि कोई इकाई विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पेय आसवनी स्थापित करने में विफल रहती है तो पूर्वोक्त बैंक प्रत्याभूति, आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और बोतल भराई लाइसेंस, आसवनी प्रवर्तित किये जाने तक निलम्बित अवस्था में रहेगा।	**[चार]** पी0डी-33 लाइसेंस धारण करने वाली ऐसी कम्पनी या इकाई, जिसका न्यूनतम रू0 52 करोड़ का निवेश तथा न्यूनतम 40 के0एल0 प्रतिदिन की क्षमता हो, को रूपया 25 लाख की बैंक प्रत्याभूति सहित शपथ-पत्र द्वारा यह आश्वासन तथा प्रतिबद्धता प्रदान करने पर कि उसे स्प्रिट की बोतल भराई हेतु एफ0एल0-3 लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के दिनांक से दो वर्ष के भीतर रु0 25 प्रति किलोलीटर स्वीकृत क्षमता के आधार पर जमा करके पेय आसवनी अधिष्ठापित करना होगा। पेय आसवनी स्थापित करने के लिये, यदि कोई इकाई विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पेय आसवनी स्थापित करने में विफल रहती है तो पूर्वोक्त बैंक प्रत्याभूति, आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और बोतल भराई लाइसेंस, आसवनी प्रवर्तित किये जाने तक निलम्बित अवस्था में रहेगा।
(ख) प्रपत्र वि0म0-3में लाइसेंसधारक, बोतल में भरने के अपने विषेशाधिकार को पूर्णतः या उसके किसी अंश को–	**(ख)** प्रपत्र वि0म0-3 में लाइसेंसधारक, बोतल में भरने के अपने विषेशाधिकार को पूर्णतः या उसके किसी अंश को–
[एक] उत्तर प्रदेश राज्य के दूसरे आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक	**[एक]** उत्तर प्रदेश राज्य के दूसरे आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक
[दो] भारत में दूसरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक	**[दो]** भारत में दूसरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक
[तीन] भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के किसी आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक को भारत में उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन समनुषंगी इकाई को समनुदेशित कर सकता है।	**[तीन]** भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के किसी आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक को भारत में उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन समनुषंगी इकाई को समनुदेशित कर सकता है। **[चार]** अन्य राज्य के बोतल भराई संयंत्र का लाइसेंसधारक भी लाइसेंस के लिये अर्ह होगा, परन्तु ऐसे लाइसेंसधारक की बोतल भराई इकाई निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करती हो– (क) बोतल भराई इकाई की वाषिक कारबार व्यापारावर्त रुपया 100 करोड़ (राजस्व/आबकारी शुल्क सहित) से कम न हो, (ख) बोतल भराई इकाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता पांच लाख केसेज से कम न हो, (ग) बोतल भराई इकाई का कारबार कम से कम 03 राज्यों में हो, जिनमें न्यूनतम एक करोड़ जनसंख्या हो,

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु यह कि ऐसा कोई समनुदेशिती इस रूप में किसी अधिकार का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जबतक कि वि0म0-3क लाइसेंस के धारक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र पर आबकारी आयुक्त द्वारा उसे प्रपत्र वि0म0-3-क में लाइसेस स्वीकृत न कर दिया गया हो।	परन्तु यह कि ऐसा कोई समनुदेशिती इस रूप में किसी अधिकार का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जबतक कि वि0म0-3क लाइसेंस के धारक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र पर आबकारी आयुक्त द्वारा उसे प्रपत्र वि0म0-3-क में लाइसेस स्वीकृत न कर दिया गया हो।
(ग) किसी आसवक, यवासवक तथा द्राक्षासवक को बोतल में भरने हेतु प्रपत्र वि0म0-3-क में बाटलिंग लाइसेंस आबकारी आयुक्त द्वारा निम्नलिखित षर्तों के अधीन दिया जा सकता है–	**(ग)** किसी आसवक, यवासवक द्राक्षासवक तथा उक्त नियमावली के नियम संख्या 2(1) क (चार) में विनिर्दिष्ट इकाई को बोतल में भरने हेतु प्रपत्र वि0म0-3-क में बाटलिंग लाइसेंस आबकारी आयुक्त द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जा सकता है।
(एक) कोई आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक उसके द्वारा बोतल में भरी गई स्प्रिट के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अपना ब्राण्ड नाम लिखने का हकदार होगा।	**(एक)** कोई आसवक, यवासवक द्राक्षासवक या उक्त नियमावली के नियम संख्या 2(1) (क) (चार) में विनिर्दिष्ट इकाई उसके द्वारा बोतल में भरी गई स्प्रिट के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अपना ब्राण्ड नाम लिखने का हकदार होगा।
(दो) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार, के सिवाय रंगना, समिश्रण करण (ब्लेडिंग), सुवासित करना या तीव्रतावरोह करना निषिद्ध होगा।	**(दो)** आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार, के सिवाय रंगना, समिश्रण करण (ब्लेडिंग), सुवासित करना या तीव्रतावरोह करना निषिद्ध होगा।
(2) न्यूनतम रूपये 2,00,000 (रूपये दो लाख) के अधीन रहते हुये, किसी आसवक या द्राक्षासवक की स्थित में स्प्रिट या वाइन या कम तीव्रता के मादक पेयों पर बाटलिंग फीस निम्नलिखित दर पर या समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित दरों पर उद्गृहीत किया जायेगा।	**(2)** न्यूनतम रूपये 2,00,000 (रूपये दो लाख) के अधीन रहते हुये, किसी आसवक या द्राक्षासवक की स्थिति में स्प्रिट या वाइन या कम तीव्रता के मादक पेयों पर बाटलिंग फीस निम्नलिखित दर पर या समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित दरों पर उद्गृहीत किया जायेगा तथा इसकी अग्रिम वसूली की जायेगी।

(क) स्प्रिट या वाइन

बाटलिंग शुल्क रूपये में

	धारिता (एम0एल0 में)	एफ0एल0-3 के लिये (प्रति बोतल)	एफ0एल0-3ए के लिये (प्रति बोतल)
(एक)	2000 मि0ली0	3.14	4.11
(दो)	1000 मि0ली0	1.57	2.05
(तीन)	700 व 750 मि0ली0	1.21	1.63
(चार)	500 मि0ली0	0.85	1.21
(पांच)	375 मि0ली0	0.72	0.97
(छः)	180 मि0ली0	0.48	0.60
(सात)	100 मि0ली0	0.30	0.36
(आठ)	90 मि0ली0	0.30	0.36
(नौ)	60 मि0ली0	0.18	0.24

(क) स्प्रिट या वाइन

बाटलिंग शुल्क रूपये में

	धारिता (एम0एल0 में)	एफ0एल0-3 के लिये (प्रति बोतल)	एफ0एल0-3ए के लिये (प्रति बोतल
(एक)	2000 मि0ली0	3.14	4.11
(दो)	1000 मि0ली0	1.57	2.05
(तीन)	700 व 750 मि0ली0	1.21	1.63
(चार)	500 मि0ली0	0.85	1.21
(पांच)	375 मि0ली0	0.72	0.97
(छः)	180 मि0ली0	0.48	0.60
(सात)	100 मि0ली0	0.30	0.36
(आठ)	90 मि0ली0	0.30	0.36
(नौ)	60 मि0ली0	0.18	0.24

(ख) कम तीव्रता के मादक पेय–

बाटलिंग शुल्क रूपये में

	धारिता (एम0एल0 में)	एफ0एल0-3 के लिये (प्रति बोतल)	एफ0एल0-3ए के लिये (प्रति बोतल)
(एक)	1000 मि0ली0	0.18	0.30
(दो)	650 मि0ली0	0.10	0.18
(तीन)	500 मि0ली0	0.08	0.12
(चार)	325 व 330 मि0ली0	0.06	0.08
(पांच)	275 मि0ली0	0.05	0.06
(छः)	275 मि0ली0 से कम	0.04	0.05

(3) न्यूनतम रूपये 2,00,000.00 (रूपये दो लाख) के अधीन रहते हुय किसी यवासवक की स्थिति में बाटलिंग फीस निम्नलिखित दर पर या समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित दर पर उद्गृहीत किया जायेगा तथा इसकी अग्रिम वसूली की जायेगी–

बियर

बाटलिंग शुल्क रूपये में

	धारिता	एफ0एल0-3 के लिये (प्रति बोतल)	एफ0एल0-3ए के लिये (प्रति बोतल)
(एक)	ड्राट बीयर प्रति ड्रम (50 लीटर धारिता)	30.19	36.23
(दो)	650 मि0ली0 बोतल	0.66	0.78
(तीन)	500 मि0ली0 बोतल	0.54	0.60
(चार)	350 मि0ली0 या उससे कम मात्रा की बोतल	0.36	0.48

(4) निकाल दिया गया है।

(ख) कम तीव्रता के मादक पेय–

बाटलिंग शुल्क रूपये में

	धारिता (एम0एल0 में)	एफ0एल0-3 के लिये (प्रति बोतल)	एफ0एल0-3ए के लिये (प्रति बोतल)
(एक)	1000 मि0ली0	0.18	0.30
(दो)	650 मि0ली0	0.10	0.18
(तीन)	500 मि0ली0	0.08	0.12
(चार)	325 व 330 मि0ली0	0.06	0.08
(पांच)	275 मि0ली0	0.05	0.06
(छः)	275 मि0ली0 से कम	0.04	0.05

(3) न्यूनतम रूपये 2,00,000.00 (रूपये दो लाख) के अधीन रहते हुय किसी यवासवक की स्थिति में बाटलिंग फीस निम्नलिखित दर पर या समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित दर पर उद्गृहीत किया जायेगा तथा इसकी अग्रिम वसूली की जायेगी।

बियर

बाटलिंग शुल्क रूपये में

	धारिता	एफ0एल0-3 के लिये (प्रति बोतल)	एफ0एल0-3ए के लिये (प्रति बोतल)
(एक)	ड्राट बीयर प्रति ड्रम (50 लीटर धारिता)	30.19	36.23
(दो)	650 मि0ली0 बोतल	0.66	0.78
(तीन)	500 मि0ली0 बोतल	0.54	0.60
(चार)	350 मि0ली0 या उससे कम मात्रा की बोतल	0.36	0.48

(4) निकाल दिया गया है।

(5) विदेशी मदिरा (इकोनामी श्रेणी को छोड़कर) को बोतलों में भरने पर स्पेशल बोतल भराई फीस निम्नलिखित दरों पर उदगृहीत किया जायेगा और इसकी अग्रिम वसूली की जायेगी–

	धारिता (बोतल/पात्र)	एफ0एल0-3 के लिये स्पेशल बोतल भराई फीस की दर (प्रति बोतल)	एफ0एल0-3ए के लिये स्पेशल बोतल भराई फीस की दर (प्रति बोतल)
(एक)	700 एम0एल0 या उससे ऊपर	रु0 3.00	रु0 3.00
(दो)	375 एम0एल0 या उससे ऊपर किन्तु 700 एम0 एल0 से कम	रु0 2.00	रु0 2.00
(तीन)	180 एम0एल0 अथवा उससे कम धारिता के लिए	रु0 1.00	रु0 1.00

(6) बियर को बोतलों में भरने पर स्पेशल बोतल भराई फीस निम्नलिखित दर पर उदगृहीत किया जायेगा और इसकी अग्रिम वसूली की जायेगी–

	धारिता (बोतल/पात्र)	एफ0एल0-3 के लिये स्पेशल बोतल भराई फीस की दर (प्रति बोतल)	एफ0एल0-3ए के लिये स्पेशल बोतल भराई फीस की दर (प्रति बोतल)
(एक)	650 एम0एल0 या उससे ऊपर	रु0 2.00	रु0 2.00
(दो)	500 एम0एल0 या उससे ऊपर किन्तु 650 एम0एल0 से कम	रु0 1.00	रु0 1.00
(तीन)	500 एम0एल0 पात्रों से कम धारिता के लिए	रु0 0.50.	रु0 0.50

(5) विदेशी मदिरा (इकोनामी श्रेणी को छोड़कर) को बोतलों में भरने पर स्पेशल बोतल भराई फीस निम्नलिखित दरों पर उदगृहीत किया जायेगा और इसकी अग्रिम वसूली की जायेगी परन्तु यह कि 180 एम0एल0 से कम धारिता की बोतलों की भराई के लये स्पेशल बाटलिंग फीस रु0 48 प्रति केस से अधिक नहीं होगी–

	धारिता (बोतल/पात्र)	एफ0एल0–3 के लिये स्पेशल बोतल भराई फीस की दर (प्रति बोतल)	एफ0एल0–3 ए के लिये स्पेशल बोतल भराई फीस की दर (प्रति बोतल)
(एक)	700 एम0एल0 या उससे ऊपर	रु0 3.00	रु0 3.00
(दो)	375 एम0एल0 या उससे ऊपर किन्तु 700 एम0 एल0 से कम	रु0 2.00	रु0 2.00
(तीन)	180 एम0एल0 अथवा उससे कम धारिता के लिए	रु0 1.00	रु0 1.00

(6) बियर को बोतलों में भरने पर स्पेशल बोतल भराई फीस निम्नलिखित दर पर उदगृहीत किया जायेगा और इसकी अग्रिम वसूली की जायेगी–

	धारिता (बोतल/पात्र)	एफ0एल0-3 के लिये स्पेशल बोतल भराई फीस की दर (प्रति बोतल)	एफ0एल0-3ए के लिये स्पेशल बोतल भराई फीस की दर (प्रति बोतल)
(एक)	650 एम0एल0 या उससे ऊपर	रु0 2.00	रु0 2.00
(दो)	500 एम0एल0 या उससे ऊपर किन्तु 650 एम0एल0 से कम	रु0 1.00	रु0 1.00
(तीन)	500 एम0एल0 पात्रों से कम धारिता के लिए	रु0 0.50.	रु0 0.50

5–नियम–6 का संशोधन–उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 1969 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6. प्रपत्र विदेशी मदिरा-3 में प्रदान किया गया प्रत्येक लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा।	**6.** प्रपत्र विदेशी मदिरा-3 या विदेशी मदिरा-3क में प्रदान किया गया प्रत्येक लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा।
(1) लाइसेंस बोतल में भराई कार्य उसी भू-गृहादि में करेगा जो आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी के बाहर बोतल भरने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा और आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी के अन्दर बोतल भरने की दशा में आबकारी आयुक्त द्वारा पूर्वानुमोदित हों और लाइसेंस पर पृष्ठांकित हों और भू-गृहादि का प्रयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए, सिवाय विदेशी मदिरा बोतल में भरने और उसे संग्रह करने के लिये नहीं दिया जायेगा।	**(1)** लाइसेंसधारी बोतल में भराई कार्य उसी भू-गृहादि में करेगा जो आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी के बाहर बोतल भरने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा और आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी के अन्दर बोतल भरने की दशा में आबकारी आयुक्त द्वारा पूर्वानुमोदित हों और लाइसेंस पर पृष्ठांकित हों और भू-गृहादि का प्रयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए, सिवाय विदेशी मदिरा बोतल में भरने और उसे संग्रह करने के लिये नहीं दिया जायेगा।
(2) लाइसेंस उक्त भू-गृहादि में यथास्थिति जिलाधिकारी या आबकारी आयुक्त, की पूर्वलिखित स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन नहीं करेगा और इस प्रकार के सभी परिवर्तन लाइसेंस द्वारा प्रस्तुत नक्शे में दिखाये जायेंगे।	**(2)** लाइसेंसधारी उक्त भू-गृहादि में यथास्थिति जिलाधिकारी या आबकारी आयुक्त, की पूर्वलिखित स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन नहीं करेगा और इस प्रकार के सभी परिवर्तन लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में दिखाये जायेंगे।
(3) बोतल में भराई कार्य इस प्रयोजनार्थ अलग किये गये, पृथक कक्ष (कक्षों) में किया जायेगा। लाइसेंसधारी मदिरा के संग्रह के लिये भराई कक्ष (कक्षों) में बोतल भराई की टंकियां स्थापित करेगा। वह भराई कक्ष (कक्षों) में छानने, भराई करने या इससे सम्बन्धित प्रक्रिया के लिये आवश्यक उपकरण स्थापित करेगा।	**(3) (i)** बोतल में भराई कार्य इस प्रयोजनार्थ अलग किये गये, पृथक कक्ष (कक्षों) में किया जायेगा। लाइसेंसधारी मदिरा के संग्रह के लिये भराई कक्ष (कक्षों) में बोतल भराई की टंकियां स्थापित करेगा। वह भराई कक्ष (कक्षों) में छानने, भराई करने या इससे सम्बन्धित प्रक्रिया के लिये आवश्यक उपकरण स्थापित करेगा। **(ii)** विदेशी मदिरा बाटलिंग प्लान्ट में मदिरा के आयतन तथा तीव्रता दोनों को मापने हेतु इलेक्ट्रानिक उपकरणों को लगाना, प्रयोग करना तथा अनुरक्षण करना। (क) विदेशी मदिरा बाटलिंग प्लान्ट में कम से कम दो मास फ्लोमीटर होंगे, जिसमें एक स्प्रिट या ब्लेण्डेड विदेशी मदिरा की प्राप्ति के लिए होगा और दूसरा वांछित तीव्रता एवं माप की पेय विदेशी मदिरा की बोतल भराई को सुनिश्चत करेगा। (ख) इन टैंकों में भंडारित किये गये स्प्रिट के स्तर को अभिलिखित किये जाने के लिए समस्त भण्डारण कुण्डों, रिडक्शन और ब्लेण्डिंग कुण्डों तथा बाटलिंग कुण्डों पर राडार आधारित लेबिल ट्रांसमीटर लगाये जायेंगे।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(ग) विदेशी मदिरा बाटलिंग लाइन पर दो इलेक्ट्रानिक बाटल काउन्टर होंगे, जिसमें पहला आटोमैटिक फिलिंग यूनिट के ठीक बाद के स्थान पर लगेगा तथा दूसरा उसी लाइन में सिक्योरिटी कोड लगाने के स्थान के ठीक बाद लगेगा। सम्बन्धित आसवनी/बाटलर्स विदेशी मदिरा बाटलिंग प्लान्ट पर अपनी लागत पर इन बाटलिंग काउन्टरों को लगायेगा और अनुरक्षित करेगा। (घ) मास फ्लोमीटर, राडार आधारित लेबिल ट्रांसमीटर, सेंसर आधारित इलेक्ट्रानिक बाटल काउन्टर्स, अन्य उपकरण/उपस्कर और इन युक्तियों के माध्यम से मापन किये जाने अभिलिखित किये जाने तथा पुरालिखित किये जाने हेतु अपेक्षित विनिर्दिष्ट पैरामीटर स्थापित किये जाने तथा उपयोग किये जाने से सम्बन्धित तकनीकी विनिर्दिष्टियों एवं मार्गदर्शी सिद्वान्तों का विवरण आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर अधिसूचित मानक प्रचालन प्रक्रिया में विहित किया जायेगा। विदेशी मदिरा बाटलिंग प्लान्ट का लाइसेंसधारी इन इलेक्ट्रानिक उपकरणों तथा अन्य सहायक उपकरणों के नियमित अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्लाण्ट में प्राप्त, वहां से जारी और उनमें अवशिष्ट स्प्रिट की मात्रा तथा तीव्रता को दर्शाते हुए विदेशी मदिरा बाटलिंग प्लान्ट का विवरण, आबकारी विभाग के प्रभारी अधिकारी तथा अधिकारियों को निरन्तर इन उपकरणों से उपलब्ध होंगे। बाटलिंग प्लान्ट के प्रभारी अधिकारी या निरीक्षण अधिकारी द्वारा पता किये गये इन उपकरणों में किसी प्रकार की खराबी को तत्काल शुद्ध किया जायेगा और इस सम्बन्ध में उप आबकारी आयुक्त को भी सूचित किया जायेगा। इन उपकरणों के अपने अभिहित मानक के रूप में होने तक उक्त संयंत्र का संचालन स्थगित रहेगा। (ङ) बाटलिंग प्लान्ट का प्रभारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी प्रख्यापित संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष में एक बार विदेशी मदिरा बाटलिंग प्लान्ट में प्रयुक्त समस्त मास फ्लोमीटर का अंशांकन निश्चित करेगा और कम से कम तीन वर्ष तक ऐसे अंशांकन प्रमाण-पत्र को संरक्षित रखेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(च) बाटलिंग प्लान्ट पर स्प्रिट के पहुॅचने पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया– पारेषण के बाटलिंग प्लान्ट पर पहुॅचने के तत्काल पश्चात प्रभारी अधिकारी उक्त विदेशी मदिरा को मास फ्लोमीटर के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करेगा। प्रभारी अधिकारी मास फ्लोमीटर द्वारा दर्शाये गये डाटा से आयातित या परिवहन की गयी विदेशी मदिरा की मात्रा व तीव्रता को अभिलिखित करेगा। मास फ्लोमीटर से लाये गये डाटा की प्रक्रिया का मार्गदर्शन यथा उल्लिखित एस0ओ0पी0 द्वारा किया जायेगा। वह पारेषण से आच्छादित पास पर मात्रा और तीव्रता को भी पृष्ठांकित करेगा। आबकारी सत्यापन प्रमाण–पत्र (ईवीसी) के प्रपत्र में रसीद की प्रविष्टियों सहित पास की एक प्रति तत्काल पारेषण निर्गत करने वाले अधिकारी को वापस की जायेगी और प्रविष्टियों सहित दूसरी प्रति प्लान्ट में रखी जायेगी।
	(iii) बाटलिंग प्लान्ट में स्प्रिट का भण्डारण– किसी बाटलिंग प्लान्ट में एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या रिडयूस्ड मदिरा कुण्डों या आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किन्ही अन्य पात्रों में भण्डारित किया जायेगा। समस्त भण्डारण कुण्डों और रिडक्शन कुण्डों में टैंकों में रखे गये स्प्रिट के स्तर को अभिलिखित करने हेतु राडार आधारित लेबल ट्रांसमीटर स्थापित किया जायेगा और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमाणित अद्यतनकृत लेबल वाल्यूम टेबिल के अनुसार पी.एल.सी. होगा जिसमें बल्क लीटर में स्प्रिट की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए लेबल ट्रांसमीटर संलग्न होगा।
बोतलों में भरी गयी मदिरा अलग कक्ष (कक्षों) में रखी जायेगी।	बोतलों में भरी गयी मदिरा अलग कक्ष (कक्षों) में रखी जायेगी।
प्रत्येक कक्ष के बाहर एक तख्ती लगायी जायेगी जिस पर कक्ष का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, यह बात स्पष्ट रूप से लिखी जायेगी।	प्रत्येक कक्ष के बाहर एक तख्ती लगायी जायेगी जिस पर कक्ष का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, यह बात स्पष्ट रूप से लिखी जायेगी।
(4) प्रतिरक्षा कर्मियों और नागरिकों को आपूर्ति किये जाने के लिये आयातित भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के एक ही कक्ष में बोतल में भरा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में आपूर्ति करने के लिये देशी मदिरा को बोतल में भरने के लिये आबकारी आयुक्त की पूर्वानमुति से बोतल में भरने के ऐसे कक्ष का उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है:–	(4) प्रतिरक्षा कर्मियों और नागरिकों को आपूर्ति किये जाने के लिये आयातित भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के एक ही कक्ष में बोतल में भरा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में आपूर्ति करने के लिये देशी मदिरा को बोतल में भरने के लिये आबकारी आयुक्त की पूर्वानमुति से बोतल में भरने के ऐसे कक्ष का उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है:–
परन्तु यह कि देशी मदिरा की बोतलों में भराई के समय किसी भी दशा में विदेशी मदिरा की बोतलों में भराई नहीं की जायेगी और प्रतिरक्षा कर्मियों और नागरिकों के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतलों में भराई एक साथ नहीं की जायेगी।	परन्तु यह कि देशी मदिरा की बोतलों में भराई के समय किसी भी दशा में विदेशी मदिरा की बोतलों में भराई नहीं की जायेगी और प्रतिरक्षा कर्मियों और नागरिकों के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतलों में भराई एक साथ नहीं की जायेगी।
(5) प्रतिरक्षा कर्मियों के लिए रियायती उपशुल्क की दर पर दी जाने वाली भारत निर्मित विदेशी रम को केवल कर देय आसवनी में ही बोतलों में ही भराई करने की स्वीकृति दी जायेगी।	(5) प्रतिरक्षा कर्मियों के लिए रियायती उपशुल्क की दर पर दी जाने वाली भारत निर्मित विदेशी रम को केवल कर देय आसवनी में ही बोतलों में ही भराई करने की स्वीकृति दी जायेगी।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(6) जब लाइसेंसधारी बोतलों में भराई करना चाहें तब वह सहायक आबकारी आयुक्त को अड़तालिस घन्टे पूर्व उसकी सूचना देगा जिसमें स्पष्ट रूप से बोतल में भराई करने के लिए प्रस्तावित दिन तथा समय का उल्लेख होगा तथा प्रतिबन्ध यह है कि बोतलों में भराई रविवार या सार्वजनिक अवकाश के दिन भी की जा सकती है और अड़तालिस घन्टे का नोटिस देना आवश्यक न होगा, यदि बोतलों की भराई किसी आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी में की जाय। सामान्यतः प्रत्येक कार्मिक की ड्युटी आठ घन्टे से अधिक नही होगी तथा तीन शिफ्ट में प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक, 02.00 बजे अपरान्ह से रात्रि 10.00 बजे तक तथा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक होगी।	(6) जब लाइसेंसधारी बोतलों में भराई करना चाहें तब वह सहायक आबकारी आयुक्त को अड़तालिस घन्टे पूर्व उसकी सूचना देगा जिसमें स्पष्ट रूप से बोतल में भराई करने के लिए प्रस्तावित दिन तथा समय का उल्लेख होगा तथा प्रतिबन्ध यह है कि बोतलों में भराई रविवार या सार्वजनिक अवकाश के दिन भी की जा सकती है और अड़तालिस घन्टे का नोटिस देना आवश्यक न होगा, यदि बोतलों की भराई किसी आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी में की जाय। सामान्यतः प्रत्येक कार्मिक की ड्युटी आठ घन्टे से अधिक नही होगी तथा तीन शिफ्ट में प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक, 02.00 बजे अपरान्ह से रात्रि 10.00 बजे तक तथा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक होगी।
(7) सिवाय आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के और उसके अनुसार सम्मिश्रण (ब्लेण्डिंग) या तीव्रतारोह (रिड्यूसिंग) का निषेध है।	(7) सिवाय आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के और उसके अनुसार सम्मिश्रण (ब्लेण्डिंग) या तीव्रतारोह (रिड्यूसिंग) का निषेध है।
<u>टिप्पणी:–</u> पद ''ब्लेण्डिंग'' तथा (रिड्यूसिंग) का वही अर्थ होगा जो आबकारी मैनुअल खण्ड–1 (1962 संस्करण) के पैरा 45 में दिया हुआ है।	<u>टिप्पणी:–</u> पद ''ब्लेण्डिंग'' तथा (रिड्यूसिंग) का वही अर्थ होगा जो आबकारी मैनुअल खण्ड–1 (1962 संस्करण) के पैरा 45 में दिया हुआ है।
(8) सिवाय आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृति के और उसके अनुसार विदेशी मदिरा में कोई सुवास पैदा करने वाला या रंगने वाला कोई पदार्थ अथवा कोई भी अन्य पदार्थ मिलाने का निषेध है।	(8) सिवाय आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृति के और उसके अनुसार विदेशी मदिरा में कोई सुवास पैदा करने वाला या रंगने वाला कोई पदार्थ अथवा कोई भी अन्य पदार्थ मिलाने का निषेध है।
(9) यदि बोतल में भरी गयी स्प्रिट उत्तर प्रदेश में विक्रय के लिये हो तो लाइसेंसधारी ब्रांडी, व्हिस्की या रम की दशा में 42 प्रतिशत अल्कोहल आयतन/आयतन से कम तीव्रताकी तथा ''जिन'' की दशा में 36 प्रतिशत अल्कोहल/आयतन/आयतन से कम तीव्रता की विदेशी मदिरा को बोतल में नहीं भरेगा। उत्तर प्रदेश के बाहर विक्रय के लिए बोतल में भरी गई स्प्रिट ऐसी तीव्रता पर जारी की जायेगी जैसा कि उस राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या सम्बन्धित देश के विनियमों द्वारा अपेक्षित हो।	(9) यदि बोतल में भरी गयी स्प्रिट उत्तर प्रदेश में विक्रय के लिये हो तो लाइसेंसधारी ब्रांडी, व्हिस्की या रम की दशा में 42 प्रतिशत अल्कोहल आयतन/आयतन से कम तीव्रताकी तथा ''जिन'' की दशा में 36 प्रतिशत अल्कोहल/आयतन/आयतन से कम तीव्रता की विदेशी मदिरा को बोतल में नहीं भरेगा। उत्तर प्रदेश के बाहर विक्रय के लिए बोतल में भरी गई स्प्रिट ऐसी तीव्रता पर जारी की जायेगी जैसा कि उस राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या सम्बन्धित देश के विनियमों द्वारा अपेक्षित हो।
(10) (क) लाइसेंसधारी सिवाय नमूने के अतिरिक्त स्प्रिट व वाइन के लिए 60 मि0ली0 से कम धारिता की बोतल का प्रयोग नहीं करेगा तथा बियर के लिए 300 मि0ली0 से कम धारिता की बोतल का प्रयोग नहीं करेगा।	(10) (क) लाइसेंसधारी सिवाय नमूने के अतिरिक्त स्प्रिट व वाइन के लिए 60 मि0ली0 से कम धारिता की बोतल का प्रयोग नहीं करेगा तथा बियर के लिए 300 मि0ली0 से कम धारिता की बोतल का प्रयोग नहीं करेगा।
(ख) उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित धारिता की बोतलों एवं फ्लास्कों का ही प्रयोग किया जायेगा।	(ख) उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित धारिता की बोतलों एवं फ्लास्कों का ही प्रयोग किया जायेगा।
(11) लाइसेंसधारी स्प्रिट, वाइन और बियर को बोतलों/फ्लास्कों/डिब्बों या ऐसी क्षमता वाले किसी अन्य पात्रों में, जैसा कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया जाय, भरेगा।	(11) लाइसेंसधारी स्प्रिट, वाइन और बियर को बोतलों/फ्लास्कों/डिब्बों या ऐसी क्षमता वाले किसी अन्य पात्रों में, जैसा कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया जाय, भरेगा।
(12) बोतलों/फ्लास्कों/डिब्बों या अन्य पात्रों पर यथास्थिति अंक और अक्षर स्प्रिट/वाइन/बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा को मि0ली0 में डाला या बालुकाच्छेपित (सैण्डब्लास्ट) किया जायेगा।	(12) बोतलों/फ्लास्कों/डिब्बों या अन्य पात्रों पर यथास्थिति अंक और अक्षर स्प्रिट/वाइन/बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा को मि0ली0 में डाला या बालुकाच्छेपित (सैण्डब्लास्ट) किया जायेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(13) ग्लास/पेट बोतलों के चेस्ट पर आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय अनुसूची के अनुसार शब्द ''उत्तर प्रदेश आबकारी'' उभरे हुए रूप में अंकित किये जायेंगे।	**(13)** ग्लास/पेट बोतलों के चेस्ट पर आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय अनुसूची के अनुसार शब्द ''उत्तर प्रदेश आबकारी'' उभरे हुए रूप में अंकित किये जायेंगे।
(14) लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा की भराई के लिए किसी ऐसी बोतल या फ्लास्क का प्रयोग नही करेगा जिस पर किसी अन्य भराई करने वाले या किसी अन्य आसवक या यवासवक या द्राक्षासवक का नाम या चिन्ह (मार्क) अंकित हो। तथापि आबकारी आयुक्त लाइसेंसधारी को 06 माह से अनधिक अवधि के लिए सम्बन्धित भराई करने वाले आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक की सहमति से ऐसी बोतलों तथा फ्लास्क के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं।	**(14)** लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा की भराई के लिए किसी ऐसी बोतल या फ्लास्क का प्रयोग नही करेगा जिस पर किसी अन्य भराई करने वाले या किसी अन्य आसवक या यवासवक या द्राक्षासवक का नाम या चिन्ह (मार्क) अंकित हो। तथापि आबकारी आयुक्त लाइसेंसधारी को 06 माह से अनधिक अवधि के लिए सम्बन्धित भराई करने वाले आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक की सहमति से ऐसी बोतलों तथा फ्लास्क के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं।
(15) रियायती शुल्क की रम की भराई के लिए प्रयुक्त बोतलों पर शब्द ''केवल सेना के लिए'' और यदि इस रम का उत्तर प्रदेश से बाहर निर्यात किया जाना हो तो अक्षर ''सी0एस0डी0'' तथा यदि रम सेवा–क्रय संगठन को दिया जाना हो तो शब्द ''ए0पी0ओ0'' बालुकाच्छेपित (सैण्डब्लास्ट) या उभारे (एम्बास्ड) किये जायेंगे।	**(15)** रियायती शुल्क की रम की भराई के लिए प्रयुक्त बोतलों पर शब्द ''केवल सेना के लिए'' और यदि इस रम का उत्तर प्रदेश से बाहर निर्यात किया जाना हो तो अक्षर ''सी0एस0डी0'' तथा यदि रम सेवा–क्रय संगठन को दिया जाना हो तो शब्द ''ए0पी0ओ0'' बालुकाच्छेपित (सैण्डब्लास्ट) या उभारे (एम्बास्ड) किये जायेंगे।
(16) (क) अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या अन्य देश को निर्यात की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की भराई ऐसे बोतलों में की जायेगी जिस पर सम्बन्धित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या देश के विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्ह या संकेत हों।	**(16) (क)** अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या अन्य देश को निर्यात की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की भराई ऐसे बोतलों में की जायेगी जिस पर सम्बन्धित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या देश के विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्ह या संकेत हों।
(ख) निर्यात के लिए बोतलों में भरे जाने के निमित्त मदिरा ऐसे आकार की बोतलों में जारी की जा सकती है, जो सम्बन्धित राज्य संघ राज्य क्षेत्र या देश के विनियमों द्वारा अपेक्षित हो।	**(ख)** निर्यात के लिए बोतलों में भरे जाने के निमित्त मदिरा ऐसे आकार की बोतलों में जारी की जा सकती है, जो सम्बन्धित राज्य संघ राज्य क्षेत्र या देश के विनियमों द्वारा अपेक्षित हो।
(17) विदेशी मदिरा की भराई के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाने वाली बोतलें पहले पोटेशियम परमैगनेट के घोल से फिर शुद्ध जल से ठीक तरह धोकर साफ की जायेगी।	**(17)** विदेशी मदिरा की भराई के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाने वाली बोतलें पहले पोटेशियम परमैगनेट के घोल से फिर शुद्ध जल से ठीक तरह धोकर साफ की जायेगी।
(18) बोतल भर जाने के बाद तुरन्त उनमे कार्क, कैप्सूल तथा लेबिल लगाया जायेगा तथा वह मदिरा भरी हुई बोतलों के संग्रह कक्ष में ले जायी जायेगी। बोतलों में भराई की प्रत्येक प्रक्रिया ''आपरेशन'' की एक विशिष्ट क्रम संख्या दी जायेगी, जिसे बैच नम्बर कहा जायेगा । यह बैच नम्बर लेबिल पर लिखा जायेगा, जिसका डिजिटल रिकार्ड भी अनुरक्षित करते हुए आबकारी विभाग के आनलाइन अभिहित पोर्टल पर प्रस्तुत किया जायेगा।	**(18)** बोतल भर जाने के बाद तुरन्त उनमे कार्क, कैप्सूल तथा लेबिल लगाया जायेगा तथा वह मदिरा भरी हुई बोतलों के संग्रह कक्ष में ले जायी जायेगी। बोतलों में भराई की प्रत्येक प्रक्रिया ''आपरेशन'' की एक विशिष्ट क्रम संख्या दी जायेगी, जिसे बैच नम्बर कहा जायेगा । यह बैच नम्बर लेबिल पर लिखा जायेगा, जिसका डिजिटल रिकार्ड भी अनुरक्षित करते हुए आबकारी विभाग के आनलाइन अभिहित पोर्टल पर प्रस्तुत किया जायेगा।
(19) (1) भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की दशा में बोतलों पर चिपकाये गये लेबिलों पर निम्नलिखित बाते स्पष्ट रूप से मुद्रित होंगी–	**(19) (1)** भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की दशा में बोतलों पर चिपकाये गये लेबिलों पर निम्नलिखित बाते स्पष्ट रूप से मुद्रित होंगी–
(क) बोतल में भरी हुई मदिरा का विवरण अर्थात् व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन आदि।	**(क)** बोतल में भरी हुई मदिरा का विवरण अर्थात् व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन आदि।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) बोतल की प्रत्याभूत (गारन्टीड) द्रव मात्रा,	**(ख)** बोतल की प्रत्याभूत (गारन्टीड) द्रव मात्रा,
(ग) व्हिस्की, ब्राण्डी, रम या जिन की दशा में, बोतल में भरी हुई मदिरा की शक्ति,	**(ग)** व्हिस्की, ब्राण्डी, रम या जिन की दशा में, बोतल में भरी हुई मदिरा की शक्ति,
(घ) शब्द ''भारत में निर्मित''	**(घ)** शब्द ''भारत में निर्मित''
(ङ) लाइसेंसधारी का नाम तथा पता	**(ङ)** लाइसेंसधारी का नाम तथा पता
(च) लेबुल पर नीचे उल्लिखित आकार में विरोधाभाषी रंग में ''फार सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली'' विकर्णवत मुद्रण–	**(च)** लेबुल पर नीचे उल्लिखित आकार में विरोधाभाषी रंग में ''फार सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली'' विकर्णवत मुद्रण–

(क) 750 एम0एल0 व उससे ऊपर के आकार की बोतलों में	8 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ख) 375 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 750 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	4 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ग) 180 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 375 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	2 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(घ) 180 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	1 एम0एम0 आकार के अक्षरों में

(क) 750 एम0एल0 व उससे ऊपर के आकार की बोतलों में	8 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ख) 375 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 750 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	4 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ग) 180 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 375 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	2 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(घ) 180 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	1 एम0एम0 आकार के अक्षरों में

(2) आयात की गयी मदिरा की दशा में बोतलों पर चिपकाए गये लेबिल पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से मुद्रित होगा–

(क) बोतल में, भरी हुई मदिरा का विवरण अर्थात व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन आदि

(ख) बोतल की प्रत्याभूत मात्रा (गारन्टीड) द्रव मात्रा

(ग) व्हिस्की, ब्राण्डी, रम या जिन की दशा में, बोतल में भरी हुई मदिरा की शक्ति,

(घ) शब्द ''निर्मित'' तथा मूल उत्पादक देश का नाम

(ड़) शब्द ''बाटल्ड इन इण्डिया''

(च) लाइसेंसधारी का नाम तथा पता

(छः) लेबुल पर नीचे उल्लिखित आकार में विरोधाभाषी रंग में ''फार सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली'' विकर्णवत मुद्रणः–

(क) 750 एम0एल0 व उससे ऊपर के आकार की बोतलों में	8 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ख) 375 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 750 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	4 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ग) 180 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 375 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	2 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(घ) 180 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	1 एम0एम0 आकार के अक्षरों में

(2) आयात की गयी मदिरा की दशा में बोतलों पर चिपकाए गये लेबिल पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से मुद्रित होगा–

(क) बोतल में, भरी हुई मदिरा का विवरण अर्थात व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन आदि

(ख) बोतल की प्रत्याभूत मात्रा (गारन्टीड) द्रव मात्रा

(ग) व्हिस्की, ब्राण्डी, रम या जिन की दशा में, बोतल में भरी हुई मदिरा की शक्ति,

(घ) शब्द ''निर्मित'' तथा मूल उत्पादक देश का नाम

(ड़) शब्द ''बाटल्ड इन इण्डिया''

(च) लाइसेंसधारी का नाम तथा पता

(छः) लेबुल पर नीचे उल्लिखित आकार में विरोधाभाषी रंग में ''फार सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली'' विकर्णवत मुद्रणः–

(क) 750 एम0एल0 व उससे ऊपर के आकार की बोतलों में	8 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ख) 375 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 750 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	4 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ग) 180 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 375 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	2 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(घ) 180 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	1 एम0एम0 आकार के अक्षरों में

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3) प्रतिरक्षा कर्मचारियों के प्रयोग के लिए विदेशी मदिरा की बोतलों पर चिपकाए गये लेबिलों पर भी निम्नलिखित संकेत–वाक्य (लीजेंड) मुद्रित किया जायेगा। लेबिल के शीर्ष पर, लाल स्याही में निम्नलिखित संकेत वाक्य–	(3) प्रतिरक्षा कर्मचारियों के प्रयोग के लिए विदेशी मदिरा की बोतलों पर चिपकाए गये लेबिलों पर भी निम्नलिखित संकेत–वाक्य (लीजेंड) मुद्रित किया जायेगा। लेबिल के शीर्ष पर, लाल स्याही में निम्नलिखित संकेत वाक्य–
''केवल प्रतिरक्षा कर्मचारियों को बिक्री के लिए'' लेबिल के आर–पार विकर्णवत लाल स्याही में निम्नलिखित संकेत वाक्य–	''केवल प्रतिरक्षा कर्मचारियों को बिक्री के लिए'' लेबिल के आर–पार विकर्णवत लाल स्याही में निम्नलिखित संकेत वाक्य–
''प्रतिरक्षा कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा रखना पूर्णतः निषेध है''	''प्रतिरक्षा कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा रखना पूर्णतः निषेध है''
(4) किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या अन्य देश को निर्यात के लिए बोतल में भरी गई मदिरा के लेबिल ऐसे आकार (डिजाइन) के होंगे और उस पर ऐसे शब्द अंकित होंगे, जैसा कि उस राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या सम्बन्धित देश के विनियमों द्वारा अपेक्षित हो। देश के भीतर अन्य राज्यों को निर्यात किये जाने हेतु लेबिलों पर शब्द ''उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर बिक्री हेतु'' भी अधिमुद्रित किये जायेगें तथा देश के बाहर निर्यात किये जाने हेतु लेबुलों पर शब्द ''केवल समुद्रपार निर्यात हेतु'' अधिमुद्रित किये जायेगें। ऐसे अधिमुद्रण हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला प्रकार, नीचे उल्लिखित आकार से कम का नहीं होगा–	(4) किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या अन्य देश को निर्यात के लिए बोतल में भरी गई मदिरा के लेबिल ऐसे आकार (डिजाइन) के होंगे और उस पर ऐसे शब्द अंकित होंगे, जैसा कि उस राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या सम्बन्धित देश के विनियमों द्वारा अपेक्षित हो। देश के भीतर अन्य राज्यों को निर्यात किये जाने हेतु लेबिलों पर शब्द ''उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर बिक्री हेतु'' भी अधिमुद्रित किये जायेगें तथा देश के बाहर निर्यात किये जाने हेतु लेबुलों पर शब्द ''केवल समुद्रपार निर्यात हेतु'' अधिमुद्रित किये जायेगें। ऐसे अधिमुद्रण हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला प्रकार, नीचे उल्लिखित आकार से कम का नहीं होगा–
(क) 750 एम0एल0 व उससे ऊपर के आकार की बोतलों में – 8 एम0एम0 आकार के अक्षरों में	(क) 750 एम0एल0 व उससे ऊपर के आकार की बोतलों में – 8 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ख) 375 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 750 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में – 4 एम0एम0 आकार के अक्षरों में	(ख) 375 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 750 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में – 4 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ग) 180 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 375 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में – 2 एम0एम0 आकार के अक्षरों में	(ग) 180 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 375 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में – 2 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(घ) 180 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में – 1 एम0एम0 आकार के अक्षरों में	(घ) 180 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में – 1 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(5) बोतलों पर लेबिल इस प्रकार चिपकाए जायेंगे, जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सकें। बोतलों पर उभारे गये या बालुकाक्षेपित किसी भी शब्द अक्षर या अंक पर लेबिल नहीं चिपकाया जायेगा।	(5) बोतलों पर लेबिल इस प्रकार चिपकाए जायेंगे, जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सकें। बोतलों पर उभारे गये या बालुकाक्षेपित किसी भी शब्द अक्षर या अंक पर लेबिल नहीं चिपकाया जायेगा।
(6)(क) प्रत्येक वर्ष लेबुल का प्रयोग करने के पूर्व लाइसेंसधारी उसकी ठीक वैसी ही चार प्रतियॉ आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रति लेबुल धारितावार प्रतिवर्ष लेबुल अनुमोदन शुल्क जमा करके उसके चालान की मूल प्रति के साथ सहायक आबकारी आयुक्त प्रभारी (आसवनी, यवासवनी व द्रक्षासवनी) को प्रस्तुत करेगा, जो उन्हें आबकारी आयुक्त को उनके अनुमोदनार्थ भेजेंगे। आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, लेबुल को अनुमोदित करेंगे, तो उस पर नम्बर अंकित करेंगे और अपनी शासकीय मुहर लगायेंगे। एक प्रति आबकारी आयुक्त के कार्यालय में अभिलेखार्थ रखी जायेगी तथा शेष तीन प्रतियां सहायक आबकारी आयुक्त प्रभारी (आसवनी, यवासवनी व	(6)(क) प्रत्येक वर्ष लेबुल का प्रयोग करने के पूर्व लाइसेंसधारी उसकी ठीक वैसी ही चार प्रतियॉ आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रति लेबुल धारितावार प्रतिवर्ष लेबुल अनुमोदन शुल्क जमा करके उसके चालान की मूल प्रति के साथ सहायक आबकारी आयुक्त प्रभारी (आसवनी, यवासवनी व द्रक्षासवनी) को प्रस्तुत करेगा, जो उन्हें आबकारी आयुक्त को उनके अनुमोदनार्थ भेजेंगे। आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, लेबुल को अनुमोदित करेंगे, तो उस पर नम्बर अंकित करेंगे और अपनी शासकीय मुहर लगायेंगे। एक प्रति आबकारी आयुक्त के कार्यालय में अभिलेखार्थ रखी जायेगी तथा शेष तीन प्रतियां सहायक आबकारी आयुक्त प्रभारी (आसवनी, यवासवनी व

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
द्राक्षासवनी) को वापस कर दी जायेगी, जो उसकी एक प्रति सम्बन्धित (आसवनी, यवासवनी व द्रक्षासवनी) को दूसरी प्रति प्रभारी निरीक्षक को सूचनार्थ एवं अभिलेखार्थ देगा। तीसरी प्रति अपने कार्यालय में अभिलेखार्थ रखेंगे। लाइसेंसधारी लेबुल के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा।	द्राक्षासवनी) को वापस कर दी जायेगी, जो उसकी एक प्रति सम्बन्धित (आसवनी, यवासवनी व द्रक्षासवनी) को दूसरी प्रति प्रभारी निरीक्षक को सूचनार्थ एवं अभिलेखार्थ देगा। तीसरी प्रति अपने कार्यालय में अभिलेखार्थ रखेंगे। लाइसेंसधारी लेबुल के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा।
(ख) राज्य सरकार द्वारा यथाविहित शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन आगामी वर्ष हेतु लेबिलों का नवीकरण किया जा सकेगा।	(ख) राज्य सरकार द्वारा यथाविहित शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन आगामी वर्ष हेतु लेबिलों का नवीकरण किया जा सकेगा।
(7) राज्य में निर्मित या भराई की गयी विदेशी मदिरा की पेटियों (कार्टन) की सभी छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में ''फार सेल इन यूपी'' मुद्रित कराया जायेगा तथा पैक्ड कार्टन पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लगाने के साथ विभिन्न धारिता/तीव्रता/ब्राण्ड/पैकेजिंग टाइप की बोतलों की विनिर्दिष्ट संख्या पैक्ड कार्टन पर अंकित किया जायेगा।	(7) राज्य में निर्मित या भराई की गयी विदेशी मदिरा की पेटियों (कार्टन) की सभी छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में ''फार सेल इन यूपी'' मुद्रित कराया जायेगा तथा पैक्ड कार्टन पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लगाने के साथ विभिन्न धारिता/तीव्रता/ब्राण्ड/पैकेजिंग टाइप की बोतलों की विनिर्दिष्ट संख्या पैक्ड कार्टन पर अंकित किया जायेगा।
(20) (1) जब तक कि आबकारी आयुक्त ने अन्यथा स्वीकृति न दी हो, तब तक सभी बोतलें पिल्फर प्रूफ कैप्सूल या क्राउन कार्क सहित अल्मूनियम कैप्सूल द्वारा मजबूती से इस प्रकार सील बन्द की जायेंगी कि कैप्सूल को बिना काटे या तोड़े बोतल को खोलना सम्भव न हो, विभिन्न प्रकार की मदिरा के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले कैप्सूल मानक आकार के होंगे तथा उनके शीर्ष पर लाइसेंसधारी का नाम अंकित होगा।	**(20) (1)** जब तक कि आबकारी आयुक्त ने अन्यथा स्वीकृति न दी हो, तब तक सभी बोतलें पिल्फर प्रूफ कैप्सूल या क्राउन कार्क सहित अल्मूनियम कैप्सूल द्वारा मजबूती से इस प्रकार सील बन्द की जायेंगी कि कैप्सूल को बिना काटे या तोड़े बोतल को खोलना सम्भव न हो, विभिन्न प्रकार की मदिरा के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले कैप्सूल मानक आकार के होंगे तथा उनके शीर्ष पर लाइसेंसधारी का नाम अंकित होगा।
(2) अन्य राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या देश को निर्यात की जाने वाली मदिरा की बोतलों पर प्रयुक्त होने वाले कैप्सूल पर ऐसे शब्द अंकित होंगे, जैसा कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश समय–समय पर निर्देश दें।	**(2)** अन्य राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या देश को निर्यात की जाने वाली मदिरा की बोतलों पर प्रयुक्त होने वाले कैप्सूल पर ऐसे शब्द अंकित होंगे, जैसा कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश समय–समय पर निर्देश दें।
(3) लाइसेंसधारी अनिवार्य रूप से ऐसे कैप्सूल का प्रयोग करेगा, जो ''इण्डियन स्टैण्डर्ड इन्स्टीट्यूट'' द्वारा अनुमोदित प्रकार (पैटर्न) तथा विनिर्दिष्टयों के अनुरूप हो व कैप्सूल के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन करेगा।	**(3)** लाइसेंसधारी अनिवार्य रूप से ऐसे कैप्सूल का प्रयोग करेगा, जो ''इण्डियन स्टैण्डर्ड इन्स्टीट्यूट'' द्वारा अनुमोदित प्रकार (पैटर्न) तथा विनिर्दिष्टयों के अनुरूप हो व कैप्सूल के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन करेगा।
(21) लाइसेंसधारी निम्नलिखित रजिस्टरों में लेखा रखेगा–	**(21)** लाइसेंसधारी निम्नलिखित रजिस्टरों में लेखा रखेगा–
(1) प्रपत्र वि0म0 ख–3 में रजिस्टर, जिसमें लाइसेंसधारी बोतल में भरने के लिये प्राप्त तथा जारी की गयी मदिरा की मात्रा, उसका विवरण तथा उसकी तीव्रता दर्ज करेगा।	**(1)** प्रपत्र वि0म0 ख–3 में रजिस्टर, जिसमें लाइसेंसधारी बोतल में भरने के लिये प्राप्त तथा जारी की गयी मदिरा की मात्रा, उसका विवरण तथा उसकी तीव्रता दर्ज करेगा।
(2) प्रपत्र वि0म0 ख–4 में रजिस्टर, जिसमें लाइसेंसधारी बोतल में भराई के लिये की गई प्रक्रिया का विवरण लिखेगा।	**(2)** प्रपत्र वि0म0 ख–4 में रजिस्टर, जिसमें लाइसेंसधारी बोतल में भराई के लिये की गई प्रक्रिया का विवरण लिखेगा।
(3) प्रपत्र. वि0म0 ख–5 में रजिस्टर, जिसमें लाइसेंसधारी भराई की गई तथा लाइसेंस प्राप्त भू–गृहादि में संग्रह की गयी विदेशी मदिरा की बोतलों का दैनिक लेखा रखेगा।	**(3)** प्रपत्र. वि0म0 ख–5 में रजिस्टर, जिसमें लाइसेंसधारी भराई की गई तथा लाइसेंस प्राप्त भू–गृहादि में संग्रह की गयी विदेशी मदिरा की बोतलों का दैनिक लेखा रखेगा।
(4) प्रपत्र वि0म0 ख–6 में खाता बही, जिसमें लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त भू–गृहादि में सम्पन्न किये गये सभी कार्य की संक्षिप्ति दर्ज करेगा।	**(4)** प्रपत्र वि0म0 ख–6 में खाता बही, जिसमें लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त भू–गृहादि में सम्पन्न किये गये सभी कार्य की संक्षिप्ति दर्ज करेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(5) प्रपत्र वि0म0 ख–7 में रजिस्टर, जिसमें लाइसेंसधारी महीने के अन्त में मदिरा की बल्क (जो बोतल में न भरी गई हो) तथा बोतल में भरी गई मात्रा दर्ज करेगा।	(5) प्रपत्र वि0म0 ख–7 में रजिस्टर, जिसमें लाइसेंसधारी महीने के अन्त में राडार आधारित लेबिल ट्रांसमीटर के माध्यम से पी.एल.सी. द्वारा यथाप्रदर्शित मदिरा की बल्क (जो बोतल में न भरी गई हो) तथा बोतल में भरी गई मात्रा दर्ज करेगा।
(6) प्रपत्र वि0म0 ख–8 में टंकियों का माप रजिस्टर।	(6) प्रपत्र वि0म0 ख–8 में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित कुण्डों की लेबिल वाल्यूम टेबिल
(7) प्रपत्र वि0म0 ख–9 में डिप बुक पुस्तिका।	(7) प्रपत्र वि0म0 ख–9 में कुण्डों की लेबेल वाल्यूम टेबिल
(8) ये प्रपत्र डिजिटली भी अनुरक्षित किये जायेंगे तथा आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर दैनिक अपलोड किये जायेंगे।	(8) ये प्रपत्र डिजिटली भी अनुरक्षित किये जायेंगे तथा आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर दैनिक अपलोड किये जायेंगे।
(22) लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में विक्रय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बियर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय के प्रत्येक बोतल/मोनोकार्टन, कैन अथवा टेट्रा पैक सहित पैकिंग कार्टन पर जिसमें बोतलों की संख्या/धारिता/तीव्रता/ ब्राण्ड/ पैकेजिंग का प्रकार अंकित होगा, शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड भराई के तुरन्त बाद निकासी के पूर्व लगायेगा तथा इस सम्बन्ध में यथानिर्धारित व्यवस्था आसवक/ यवासवक/द्राक्षासवक द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी। यह सभी रिकार्ड डिजिटल भी अनुरक्षित करने के साथ ही विभागीय पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किये जायेंगे।	(22) लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में विक्रय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बियर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय के प्रत्येक बोतल/मोनोकार्टन, कैन अथवा टेट्रा पैक सहित पैकिंग कार्टन पर जिसमें बोतलों की संख्या/धारिता/तीव्रता/ब्राण्ड/पैकेजिंग का प्रकार अंकित होगा, शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड भराई के तुरन्त बाद निकासी के पूर्व लगायेगा तथा इस सम्बन्ध में यथानिर्धारित व्यवस्था आसवक/ यवासवक/द्राक्षासवक द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी। यह सभी रिकार्ड डिजिटल भी अनुरक्षित करने के साथ ही विभागीय पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किये जायेंगे।
(23) लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में विक्रय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बियर व वाइन के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करेगा जो सरलता से दृष्य हो।	(23) लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में विक्रय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बियर व वाइन के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करेगा जो सरलता से दृष्य हो।
(24) भराई करने वाली इकाई को सालिडवेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 में विहित रिसाइकिलिंग एवं अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ऐसी समस्त व्यवस्था करना होगा।	(24) भराई करने वाली इकाई को सालिडवेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 में विहित रिसाइकिलिंग एवं अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ऐसी समस्त व्यवस्था करना होगा।

प्रपत्र एफ.एल.बी.–7, एफ.एल.बी.–8 और एफ.एल.बी.–9 में विहित रजिस्टर निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा। प्र0 वि0 प्रपत्र में दी गयी समस्त प्रविष्टियों की शुद्धता का समाधान स्वस्तर से सुनिश्चित करें।

एफ0एल0बी0–7

(नियम 6(3) और (21) देखें)

जिला ..... स्थित बोतल (बिना भरे हुए) भराई के लाइसेंस प्राप्त परिसरों में विदेशी मदिरा (जो बोतल में न भरी गयी हो) और बोतल में भरी गयी मदिरा की बल्क पुस्तिका ..... माह ..... 20.....

क–विदेशी मदिरा (जो बोतल में न भरी गयी हो) बल्क का स्टाक

मदिरा का विवरण	वैट की संख्या	आर.बी.टी. द्वारा मापी	तीव्रता	बल्क लीटर	अल्कोहल लीटर	अभ्युक्तियॉ

ख–बोतल में भरी गयी विदेशी मदिरा का स्टाक

मदिरा का विवरण	बोतलों की संख्या								बल्क लीटर में मात्रा	तीव्रता	मात्रा अल्कोहल लीटर में
	750 एम. एल.	650एम. एल.	600एम. एल.	500एम. एल.	325एम. एल.	300एम. एल.	250एम. एल.	180एम. एल.			
योग											
सम्पूर्ण योग											

एफ0एल0बी0–8

(नियम 6(3) और (21) देखें)

वैट का लेबल इंडीकेटर पंजिका

संख्या– .....

आयामों की तालिका	एल्कोहल/मदिरा स्तर सेन्टीमीटर में	लीटर				
		एक सेन्टीमीटर स्तर का पॉचवा				
		0	2	4	6	8

एफ0एल0बी0–9

(नियम 6(3) और (21) देखें)

लेबल इंडीकेटर पुस्तिका

दिनांक	समय	वैट संख्या	आर.बी.टी. का वाचन	तीव्रता	बल्क लीटर	अल्कोहल लीटर	अभ्युक्तियॉ
1	2	3	4	5	6	7	8

आज्ञा से,
पी0 गुरू प्रसाद,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 16610 /X-Licence-57/Bottling Rules/2020

Prayagraj, dated: October 07, 2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Bottling of Foreign Liquor Rules, 1969 as amended from time to time:

THE UTTAR PRADESH BOTTLING OF FOREIGN LIQUOR (TWENTY FOURTH AMENDMENT) RULES, 2020

1. Short title and commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Bottling of Foreign Liquor (Twenty Fourth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of Rule 2–In the Uttar Pradesh Bottling of Foreign Liquor Rules, 1969, hereinafter referred to as the said rules, for rule 2 set out in Column I below, the rule as set out in Column II, shall be substituted, namely:-

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
2(1) (a) A bottling licence in Form FL-3 may be granted to –	**2(1) (a)** A bottling licence in Form FL-3 may be granted to –
(i) A distiller to bottle spirits;	(i) A distiller to bottle spirits;
(ii) A brewer to bottle beer;	(ii) A brewer to bottle beer;
(iii) A vintner to bottle wines; and	(iii) A vintner to bottle wines; and
(iv) a company or unit holding PD-33 licence; to establish a potable distillery, having a minimum, investment of Rs. 52 Crore and a minimum capacity of 40 KLPD, on giving an assurance and commitment by an affidavit and supported by Bank Guarantee of Rs. 25 Lakh that it shall install potable distillery within one year from the date of grant of FL-3 licence to bottle spirits. If the unit fails to establish the potable distillery within the specified period, the aforesaid Bank Guarantee shall be forfeited in the favour of the State Government by the Excise Commissioner and the bottling licence shall be held in suspended stage until the distillery is commissioned.	(iv) a company or unit holding PD-33 licence; to establish a potable distillery, having a minimum, investment of Rs. 52 crore and a minimum capacity of 40 KLPD, on giving an assurance and commitment by an affidavit and supported by Bank Guarantee of Rs. 25 Lakh that it shall install potable distillery within **two year by depositing Rs. 25/- per Kiloliter of sanctioned capacity** from the date of grant of FL-3 licence to bottle spirits. If the unit fails to establish the potable distillery within the specified period, the aforesaid Bank Guarantee shall be forfeited in the favour of the State Government by the Excise Commissioner and the bottling licence shall be held in suspended stage until the distillery is commissioned.
(b) The holder of a licence in Form FL-3 may assign the whole or any portion of his bottling privilege to-	(b) The holder of a licence in Form FL-3 may assign the whole or any portion of his bottling privilege to-
(i) Another distiller, brewer or vintner of Uttar Pradesh State.	(i) Another distiller, brewer or vintner of Uttar Pradesh State.
(ii) A distiller, brewer or vintner of another State or Union Territory in India.	(ii) A distiller, brewer or vintner of another State or Union Territory in India.
(iii) A distiller, brewer or vintner of outside territory of India, or its wholly owned subsidiary unit in India:	(iii) A distiller, brewer or vintner of outside territory of India, or its wholly owned subsidiary unit in India:
	(iv) Licence holder of the bottling plant of the other state shall also be eligible for the licence provided that bottling unit of such licence holder fulfils the following criteria:-
	(a) Bottling unit has annual turnover of business income (including revenue / excise duty) not less than Rs. 100 crore,
	(b) Annual production capacity of bottling unit not less than five lakh cases.
	(c) Bottling unit has its business at least in three states with minimum one crore population.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
Provided that no such a assignee shall exercise any right as such unless a licence in Form FL-3A has been granted to him by the Excise Commissioner on an application made by the holder of FL-3 licence.	Provided that no such a assignee shall exercise any right as such unless a licence in Form FL-3A has been granted to him by the Excise Commissioner on an application made by the holder of FL-3 licence.
(c) A bottling licence in Form FL-3A may be granted by the Excise Commissioner to a distiller, brewer and vintner for bottling subject to the following conditions:	(c) A bottling licence in Form FL-3A may be granted by the Excise Commissioner to a distiller, brewer, vintner and **unit specified in rule no. 2(1)(a)(iv) of the said rule** for bottling subject to the following conditions:
(i) A distiller, brewer or vintner shall be entitled to put his own brand name on the labels of the spirit bottled by him after obtaining the approval of the Excise Commissioner.	(i) A distiller, brewer, vintner or **unit specified in rule no. 2(1)(a)(iv) of the said rule** shall be entitled to put his own brand name on the labels of the spirit bottled by him after obtaining the approval of the Excise Commissioner.
(ii) Colouring, blending, flavouring or reduction of spirit except under and in accordance with a special permission of the Excise Commissioner with previous sanction of the State Government, shall be prohibited.	(ii) Colouring, blending, flavouring or reduction of spirit except under and in accordance with a special permission of the Excise Commissioner shall be prohibited.
(2) Subject to minimum of Rs 200000 (Two lakh) the bottling fee in case of a distiller or a vintner shall be levied on spirit or wine or L.A.B. (Low Alcoholic Beverages) at the following rates or at the rates as fixed by the Excise Commissioner with prior approval of the State Government from time to time and this shall be recovered in advance.	(2) Subject to minimum of Rs 200000 (Two lakh) the bottling fee in case of a distiller or a vintner shall be levied on spirit or wine or L.A.B. (Low Alcoholic Beverages) at the following rates or at the rates as fixed by the Excise Commissioner with prior approval of the State Government from time to time and this shall be recovered in advance.

(a) Spirit or Wines

(Bottling Fee in Rs.)

	Capacity (in ml)	For FL-3 (per bottles)	For FL-3A (per bottles)
(i)	2000 ML	3.14	4.11
(ii)	1000 ML	1.57	2.05
(iii)	700 & 750 ML	1.21	1.63
(iv)	500 ML	0.85	1.21
(v)	375 ML	0.72	0.97
(vi)	180 ML	0.48	0.60
(vii)	100 ML	0.30	0.36
(viii)	90 ML	0.30	0.36
(ix)	60 ML	0.18	0.24

(a) Spirit or Wines

(Bottling Fee in Rs.)

	Capacity (in ml)	For FL-3 (per bottles)	For FL-3A (per bottles)
(i)	2000 ML	3.14	4.11
(ii)	1000 ML	1.57	2.05
(iii)	700 & 750 ML	1.21	1.63
(iv)	500 ML	0.85	1.21
(v)	375 ML	0.72	0.97
(vi)	180 ML	0.48	0.60
(vii)	100 ML	0.30	0.36
(viii)	90 ML	0.30	0.36
(ix)	60 ML	0.18	0.24

Column I

Existing rule

(b) Low Alcoholic Beverages Bottling fee in Rs.

	Capacity (in ml)	For FL-3 (per bottles)	for FL-3A (per bottles)
(i)	1000	0.18	0.30
(ii)	650	0.10	0.18
(iii)	500	0.08	0.12
(iv)	325-330	0.06	0.08
(v)	275	0.05	0.06
(vi)	Less than 275	0.04	0.05

(3) Subject to minimum of Rs 200000 (Two lac) the bottling fee in case of a brewer shall be levied at the following rate or at the rate as fixed by the Excise Commissioner with prior approval of the State Government from time to time and this shall be recovered in advance.

Beer Bottling fee in Rs.

	Capacity (in ml)	For FL-3 (per bottles)	For FL-3A (per bottles)
(i)	Draught Beer per drum (of fifty litre capacity)	30.19	36.23
(ii)	Bottles 650 ML	0.66	0.78
(iii)	Bottles 500 ML	0.54	0.60
(iv)	Bottles 350 ML or less	0.36	0.48

(4) Omitted.

(5) Special bottling fee shall be levied on bottling of foreign liquor (except that of economy class) at the following rates and this shall be recovered in advance.

Column II

Rule as hereby substituted

(b) Low Alcoholic Beverages Bottling fee in Rs.

	Capacity (in ml)	For FL-3 (per bottles)	for FL-3A (per bottles)
(i)	1000	0.18	0.30
(ii)	650	0.10	0.18
(iii)	500	0.08	0.12
(iv)	325-330	0.06	0.08
(v)	275	0.05	0.06
(vi)	Less than 275	0.04	0.05

(3) Subject to minimum of Rs 200000 (Two lac) the bottling fee in case of a brewer shall be levied at the following rate or at the rate as fixed by the Excise Commissioner with prior approval of the State Government from time to time and this shall be recovered in advance.

Beer Bottling fee in Rs.

	Capacity (in ml)	For FL-3 (per bottles)	For FL-3A (per bottles)
(i)	Draught Beer per drum (of fifty litre capacity)	30.19	36.23
(ii)	Bottles 650 ML	0.66	0.78
(iii)	Bottles 500 ML	0.54	0.60
(iv)	Bottles 350 ML or less	0.36	0.48

(4) Omitted.

(5) Special bottling fee shall be levied on bottling of foreign liquor (except that of economy class) at the following rates and this shall be recovered in advance.

Provided that special bottling fee for bottling less than 180 ml capacity shall not be more than Rs. 48/- per case.

	Capacity (Bottle/ Container)	Special Bottling fee for FL-3 (per bottle)	Special Bottling fee for FL-3A (per bottle)
(i)	700ml or above	Rs. 3.00	Rs. 3.00
(ii)	375ml or above (but less than 700ml)	Rs. 2.00	Rs. 2.00
(iii)	180ml or less	Rs. 1.00	Rs. 1.00

(6) Special bottling fee shall be levied on bottling of beer at the following rates and this shall be recovered in advance.

	Capacity (Bottle/ Container)	Special Bottling fee for FL-3 (per bottle)	Special Bottling fee for FL-3A (per bottle)
(i)	650ml or above	Rs. 2.00	Rs.2.00
(ii)	500ml or above (but less than 650ml)	Rs. 1.00	Rs. 1.00
(iii)	500ml or less	Rs. 0.50	Rs. 0.50

	Capacity (Bottle/ Container)	Special Bottling fee for FL-3 (per bottle)	Special Bottling fee for FL-3A (per bottle)
(i)	700ml or above	Rs. 3.00	Rs. 3.00
(ii)	375ml or above (but less than 700ml)	Rs. 2.00	Rs. 2.00
(iii)	180ml or less	Rs. 1.00	Rs. 1.00

(6) Special bottling fee shall be levied on bottling of beer at the following rates and this shall be recovered in advance.

	Capacity (Bottle/ Container)	Special Bottling fee for FL-3 (per bottle)	Special Bottling fee for FL-3A (per bottle)
(i)	650ml or above	Rs. 2.00	Rs.2.00
(ii)	500ml or above (but less than 650ml)	Rs. 1.00	Rs. 1.00
(iii)	500ml or less	Rs. 0.50	Rs. 0.50

2. Amendment of Rule 6–In the Uttar Pradesh Bottling of Foreign Liquor Rules, 1969, hereinafter referred to as the said rules, for rule-6 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2, shall be substituted, namely–

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
6. Every licence granted in form FL-3 shall be subject to the following conditions:	**6.** Every licence granted in form FL-3 or FL-3A shall be subject to the following conditions:
(1) The licensee shall carry the operations of bottling in the premises previously approved by the Collector in the case of bottling outside the distillery, brewery or vintnery and by the Excise Commissioner in the case of bottling within the distillery, brewery or vintnery and duly endorsed on the licence and the premises shall not be used for any other purpose except for bottling and storage of foreign liquor.	(1) The licensee shall carry the operations of bottling in the premises previously approved by the Collector in the case of bottling outside the distillery, brewery or vintnery and by the Excise Commissioner in the case of bottling within the distillery, brewery or vintnery and duly endorsed on the licence and the premises shall not be used for any other purpose except for bottling and storage of foreign liquor.

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
(2) The licensee shall make no alterations in the said premises without the previous approval in writing of the Collector or the Excise Commissioner, as the case may be, and all such alterations shall be shown in the plan filed by him.	(2) The licensee shall make no alterations in the said premises without the previous approval in writing of the Collector or the Excise Commissioner, as the case may be, and all such alterations shall be shown in the plan filed by him.
(3) Bottling shall be conducted in separate room(s) set apart for the purpose. The licensee shall erect bottling vats in bottling room(s) for storage of liquor. He may setup in the bottling room(s) such apparatus for filtration, bottling and processes connected therewith as may be necessary.	(3) (i) Bottling shall be conducted in separate room(s) set apart for the purpose. The licensee shall erect bottling vats in bottling room(s) for storage of liquor. He may setup in the bottling room(s) such apparatus for filtration, bottling and processes connected therewith as may be necessary. (ii) Installation, use and maintenance of electronic devices for measurement of spirit both by volume and strength at a Foreign Liquor bottling plant – (a) There shall be at least two Mass Flow Meters at a Foreign Liquor bottling plant, one for receipt of spirit or blended Foreign Liquor and the other to ensure bottling of potable Foreign Liquor at desired strength and measure. (b) There shall be Radar based Level Transmitters to be mounted on all the storage vats, reduction and blending vats and bottling vats to record the level of spirit stored in these tanks. (c) There shall be two electronic bottle counters at a Foreign Liquor bottling line. The first one shall be installed on the bottling line just after the automatic filling unit and the second one shall also be on the same line just after the affixation of Security Code. Concerned distillers/bottlers shall install and maintain these bottle counters at Foreign Liquor bottling plant at their own cost. (d) The details of technical specifications and guidelines related to installation and use of Mass Flow Meters, Radar Based Level Transmitters, sensor based electronic bottle counters & other appliances/accessories, and the specified parameters required to be measured, recorded and archived through these devices shall be prescribed in the Standard Operating Procedure (SOP) notified by the Excise Commissioner from time to time. The licensee of a Foreign Liquor bottling plant shall be responsible for regular maintenance of these electronic devices and other allied accessories. The accounts of the Foreign Liquor bottling plant showing the quantity and strength of

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
	spirits received in, issued from and remaining in the plant shall be available from these instruments on continuous basis to the officer-in-charge and the officers of the Excise Department. Any malfunctioning of these instruments detected by the Officer-in-Charge of the bottling plant or any inspecting officer, shall be corrected forthwith and the Deputy Excise Commissioner shall also be intimated about this. The operation of the plant shall remain suspended till the restoration of these instruments to its designated standard. (e) The Officer-in-Charge of the bottling plant shall ensure calibration of all the Mass Flow Meters used in the foreign liquor bottling plant once in a financial year by any accredited institution authorized by the Excise Commissioner and preserve the certificate of such calibration for at least three years. (f) Procedure to be observed on arrival of spirit at the bottling plant- Immediately on arrival of a consignment at the bottling plant the Officer-in-Charge shall make necessary arrangement to receive the said foreign liquor through the Mass Flow Meter. The Officer-in-Charge shall record the volume and strength of foreign liquor, imported or transported, from the data shown by the Mass Flow Meter. The process of fetching data from Mass Flow Meter shall be guided by the SOP as mentioned. He shall also endorse the volume and strength on the Pass, covering the consignment. One copy of the Pass with the entries of receipt in the form of Excise verification certificate (EVC) shall be immediately returned to the officer, who issued the consignment and the other copy with the entries thereon shall be kept in the plant. (iii) Storage of spirit in bottling plant- Extra Nutral Alcohol or reduced liquor in a bottling plant shall be stored in vats or in any other receptacles approved by the Excise Commissioner. All the storage vats and reduction vats shall be mounted with Radar based Level Transmitter to record the level of spirit in tanks as well and there shall be PLC (Programmable Logic Controller) attached to the level transmitter to display the volume of spirit in Bulk liter in accordance with the updated 'level-volume' table certified by the authorized authority in this regard.

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
Bottled liquor shall be stored in separate room(s). Every room shall bear on the outside a board on which shall be painted legibly the purpose for which the room is used.	Bottled liquor shall be stored in separate room(s). Every room shall bear on the outside a board on which shall be painted legibly the purpose for which the room is used.
(4) Indian Made Foreign Liquor intended for supply to defence personnel and civilians can be bottled in same bottling hall. In special circumstances such bottling hall can also be used with prior permission of Excise Commissioner for bottling country liquor for supply in Uttar Pradesh.	(4) Indian Made Foreign Liquor intended for supply to defence personnel and civilians can be bottled in same bottling hall. In special circumstances such bottling hall can also be used with prior permission of Excise Commissioner for bottling country liquor for supply in Uttar Pradesh.
Provided that in any case at the time of, bottling operation of country liquor, the bottling operation of Indian made foreign liquor shall not be carried out and the Indian made foreign liquor for the defence personnel and the civilians shall not be bottled together.	Provided that in any case at the time of, bottling operation of country liquor, the bottling operation of Indian made foreign liquor shall not be carried out and the Indian made foreign liquor for the defence personnel and the civilians shall not be bottled together.
(5) Bottling of Indian made foreign rum for issue to defence personnel at concessional rate of duty shall be allowed only in a distillery in bond.	(5) Bottling of Indian made foreign rum for issue to defence personnel at concessional rate of duty shall be allowed only in a distillery in bond.
(6) When the licencee wishes to carry on bottling, he shall give to the Assistant Excise Commissioner forty-eight hours prior notice clearly mentioning the days and hours during which bottling is proposed to be done provided that bottling may be done on a Sunday or a public holiday and forty-eight hours notice will not be necessary when bottling is done in a distillery or brewery or vintnery. Ordinarily each official will be on duty for a total period not exceeding eight hours in a day for twenty-four hours the shift time will be from 6.00 AM to 02.00 PM, 02.00 PM to 10.00 PM, 10.00 PM to 6.00 AM	(6) When the licencee wishes to carry on bottling, he shall give to the Assistant Excise Commissioner forty-eight hours prior notice clearly mentioning the days and hours during which bottling is proposed to be done provided that bottling may be done on a Sunday or a public holiday and forty-eight hours notice will not be necessary when bottling is done in a distillery or brewery or vintnery. Ordinarily each official will be on duty for a total period not exceeding eight hours in a day for twenty-four hours the shift time will be from 6.00 AM to 02.00 PM, 02.00 PM to 10.00 PM, 10.00 PM to 6.00 AM
(7) blending or reducing is prohibited except under and in accordance with the special permission of Excise Commissioner;	(7) blending or reducing is prohibited except under and in accordance with the special permission of Excise Commissioner;
Note:- The terms blending and reducing shall carry the meaning as given in para 45 of the Excise Manual Vol-I (1962 edition)	**Note:-** The terms blending and reducing shall carry the meaning as given in para 45 of the Excise Manual Vol-I (1962 edition)
(8) Addition of any flavouring or colouring material or any other substance in foreign liquor is prohibited except under and in accordance with the special sanction of the Excise Commissioner.	(8) Addition of any flavouring or colouring material or any other substance in foreign liquor is prohibited except under and in accordance with the special sanction of the Excise Commissioner.

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
(9) If bottled spirit is meant for sale within Uttar Pradesh, the licensee shall not bottle any foreign liquor of a strength less than 42% of alcohol volume/volume in the case of brandy, whisky or rum or of a strength less than 36% alcohol volume/volume in the case of gin. The spirit bottled for sale outside Uttar Pradesh may be issued at such strength as may be required by the regulations of the State, Union territory or country concerned,	(9) If bottled spirit is meant for sale within Uttar Pradesh, the licensee shall not bottle any foreign liquor of a strength less than 42% of alcohol volume/volume in the case of brandy, whisky or rum or of a strength less than 36% alcohol volume/volume in the case of gin. The spirit bottled for sale outside Uttar Pradesh may be issued at such strength as may be required by the regulations of the State, Union territory or country concerned,
(10)(a) The licensee shall not use any bottle of capacity of less than 60ml for bottling of spirit and wine and 300 ml for bottling of beer except in the case of Foreign Liquor bottled to serve as sample.	(10)(a) The licensee shall not use any bottle of capacity of less than 60ml for bottling of spirit and wine and 300 ml for bottling of beer except in the case of Foreign Liquor bottled to serve as sample.
(b) Bottles of capacities as approved by the Excise Commissioner shall be used for bottling of foreign spirit for sale in Uttar Pradesh.	(b) Bottles of capacities as approved by the Excise Commissioner shall be used for bottling of foreign spirit for sale in Uttar Pradesh.
(11) The licensee shall bottle spirit, wine and beer in bottles/cans or any other container of such capacities as are approved by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.	(11) The licensee shall bottle spirit, wine and beer in bottles/cans or any other container of such capacities as are approved by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.
(12) The figures and letters of quantity of spirit/wine/beer and low alcoholic beverages in millilitres, as the case may be, shall be moulded/embossed/etched or sandblasted on the bottles/cans or other container.	(12) The figures and letters of quantity of spirit/wine/beer and low alcoholic beverages in millilitres, as the case may be, shall be moulded/embossed/etched or sandblasted on the bottles/cans or other container.
(13) The glass/PET bottle will be embossed with the words "Uttar Pradesh Excise" on the chest of the bottle as per time schedule notified by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.	**(**13) The glass/PET bottle will be embossed with the words "Uttar Pradesh Excise" on the chest of the bottle as per time schedule notified by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.
(14) The licensee shall not use for bottling foreign liquor any bottles bearing the name and trademark of any other bottler or distiller or brewer or vintner. The Excise Commissioner may however, give permission to the holder of licence in Form F.L.-3A. to use bottles bearing the name and trademark of any other bottler, distiller, brewer or vintner.	(14) The licensee shall not use for bottling foreign liquor any bottles bearing the name and trademark of any other bottler or distiller or brewer or vintner. The Excise Commissioner may however, give permission to the holder of licence in Form F.L.-3A. to use bottles bearing the name and trademark of any other bottler, distiller, brewer or vintner.
(15) Bottles used for bottling of concessional rum shall also have sandblasted or embossed on them the words "for troops only" along with the letters "C.S.D." when the rum is meant for export outside Uttar Pradesh and the letter Ä.P.O." when meant for issue to the Army Purchase Organisation.	(15) Bottles used for bottling of concessional rum shall also have sandblasted or embossed on them the words "for troops only" along with the letters "C.S.D." when the rum is meant for export outside Uttar Pradesh and the letter Ä.P.O." when meant for issue to the Army Purchase Organisation.

Column I
Existing rule

(16)(a) Indian Made Foreign Liquor which is intended for export to another State or Union territory or other country shall be bottled in bottles having such marks and indications as may be required by the regulations of that State, Union Territory or country.

(b) The liquor bottled for export may be issued in bottles of such sizes as may be required by the regulations of the State, Union Territory or country concerned.

(17) Bottles to be used for the purpose of bottling foreign liquor shall be properly cleaned and washed first with a solution of potassium permanganate and then with pure water.

(18) Immediately after the bottles have been filled up, they shall be corked, capsuled and labelled and removed to the room for storage of bottled liquor. A distinctive serial number to be known as the batch number shall be assigned to each bottling operation and the number shall be noted on the label. A digital record will be maintained also and be submitted online on designated portal of Excise Department daily.

(19)(i) In case of foreign liquor manufactured in India labels affixed to the bottles shall have the following conspicuous print on them:

(a) the description of liquor contained in the bottles e.g. whisky, brandy, rum, gin, etc.;

(b) the guaranteed fluid contents of the bottle;

(c) strength of liquor contained in the bottle in the case of whisky, brandy, rum or gin;

(d) the words "Made in India" ;

(e) name and address of the licensee ;

(f) "For sale in Uttar Pradesh only" diagonally on the labels in contrast colour in the size mentioned below :

(A)	Bottles of the size of 750ml. and above	letters of 8 m.m. size
(B)	Bottles of the size of 375ml. and above but smaller than 750ml	letters of 4 m.m. size
(C)	Bottles of the size of 180ml. and above but smaller than 375ml	letters of 2 m.m. size
(D)	Bottles smaller than 180ml.	letters of 1 m.m. size

Column II
Rule as hereby substituted

(16)(a) Indian Made Foreign Liquor which is intended for export to another State or Union territory or other country shall be bottled in bottles having such marks and indications as may be required by the regulations of that State, Union Territory or country.

(b) The liquor bottled for export may be issued in bottles of such sizes as may be required by the regulations of the State, Union Territory or country concerned.

(17) Bottles to be used for the purpose of bottling foreign liquor shall be properly cleaned and washed first with a solution of potassium permanganate and then with pure water.

(18) Immediately after the bottles have been filled up, they shall be corked, capsuled and labelled and removed to the room for storage of bottled liquor. A distinctive serial number to be known as the batch number shall be assigned to each bottling operation and the number shall be noted on the label. A digital record will be maintained also and be submitted online on designated portal of Excise Department daily.

(19)(i) In case of foreign liquor manufactured in India labels affixed to the bottles shall have the following conspicuous print on them:

(a) the description of liquor contained in the bottles e.g. whisky, brandy, rum, gin, etc.;

(b) the guaranteed fluid contents of the bottle;

(c) strength of liquor contained in the bottle in the case of whisky, brandy, rum or gin;

(d) the words "Made in India" ;

(e) name and address of the licensee ;

(f) "For sale in Uttar Pradesh only" diagonally on the labels in contrast colour in the size mentioned below :

(A)	Bottles of the size of 750ml. and above	letters of 8 m.m. size
(B)	Bottles of the size of 375 ml. and above but smaller than 750ml	letters of 4 m.m. size
(C)	Bottles of the size of 180ml. and above but smaller than 375ml	letters of 2 m.m. size
(D)	Bottles smaller than 180ml.	letters of 1 m.m. size

Column I
Existing rule

(ii) In the case of imported liquor, the labels affixed to the bottles shall have the following conspicuous print on them;

(a) the description of liquor contained in the bottles e.g. whisky, brandy, rum, gin, etc.;

(b) the guaranteed fluid contents of the bottle;

(c) strength of liquor contained in the bottle in the case of whisky, brandy, rum or gin;

(d) the words "Made in" with the name of country of origin;

(e) the words "Bottled in India"

(f) name and address of the licensee ;

(g) "For sale in Uttar Pradesh only" diagonally on the labels in contrast colour in the size mentioned below :

(A)	Bottles of the size of 750ml. and above	letters of 8 m.m. size
(B)	Bottles of the size of 375ml. and above but smaller than 750ml	letters of 4 m.m. size
(C)	Bottles of the size of 180ml. and above but smaller than 375ml	letters of 2 m.m. size
(D)	Bottles smaller than 180ml.	letters of 1 m.m. size

(iii) Labels on the bottles of foreign liquor for use of defence personnel shall also have the following legends printed on them; on the top of the labels, a legend in red ink as follows:

"For sale to defence personnel only"
Diagonally across the label a legend in red ink as follows:

"possession by person other than defence personnel is strictly prohibited".

(iv) The labels to be used on liquor bottled for export to another State or Union Territory or Country shall be of such design and bear such words as may be required by the regulations of the State, Union Territory or the Country concerned. The labels shall also be overprinted with the words "For Sale outside

Column II
Rule as hereby substituted

(ii) In the case of imported liquor, the labels affixed to the bottles shall have the following conspicuous print on them;

(a) the description of liquor contained in the bottles e.g. whisky, brandy, rum, gin, etc.;

(b) the guaranteed fluid contents of the bottle;

(c) strength of liquor contained in the bottle in the case of whisky, brandy, rum or gin;

(d) the words "Made in" with the name of country of origin;

(e) the words "Bottled in India"

(f) name and address of the licensee ;

(g) "For sale in Uttar Pradesh only" diagonally on the labels in contrast colour in the size mentioned below :

(A)	Bottles of the size of 750ml. and above	letters of 8 m.m. size
(B)	Bottles of the size of 375ml. and above but smaller than 750ml	letters of 4 m.m. size
(C)	Bottles of the size of 180ml. and above but smaller than 375ml	letters of 2 m.m. size
(D)	Bottles smaller than 180ml.	letters of 1 m.m. size

(iii) Labels on the bottles of foreign liquor for use of defence personnel shall also have the following legends printed on them; on the top of the labels, a legend in red ink as follows:

"For sale to defence personnel only"
Diagonally across the label a legend in red ink as follows:

"possession by person other than defence personnel is strictly prohibited".

(iv) The labels to be used on liquor bottled for export to another State or Union Territory or Country shall be of such design and bear such words as may be required by the regulations of the State, Union Territory or the Country concerned. The labels shall also be overprinted with the words

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
the State of U.P." for export to other States within the Country and the labels shall be overprinted with the words "For overseas export only" for export out of the Country. The type to be used for such overprinting shall not be smaller than the size mentioned below-	"For Sale outside the State of U.P." for export to other States within the Country and the labels shall be overprinted with the words "For overseas export only" for export out of the Country. The type to be used for such overprinting shall not be smaller than the size mentioned below-

(A)	Bottles of the size of 750ml. and above	letters of 8 m.m. size
(B)	Bottles of the size of 375ml. and above but smaller than 750ml	letters of 4 m.m. size
(C)	Bottles of the size of 180ml. and above but smaller than 375ml	letters of 2 m.m. size
(D)	Bottles smaller than 180ml.	letters of 1 m.m. size

(A)	Bottles of the size of 750ml. and above	letters of 8 m.m. size
(B)	Bottles of the size of 375ml. and above but smaller than 750ml	letters of 4 m.m. size
(C)	Bottles of the size of 180ml. and above but smaller than 375ml	letters of 2 m.m. size
(D)	Bottles smaller than 180ml.	letters of 1 m.m. size

(v) Labels on the bottles shall be so affixed as to be easily distinguishable. No label shall be pasted over the words, letters and figures moulded or sand blasted thereon.

(v) Labels on the bottles shall be so affixed as to be easily distinguishable. No label shall be pasted over the words, letters and figures moulded or sand blasted thereon.

(vi)(a) Before bringing any label into use, the licensee shall submit exact copies thereof in quadruplicate every year with Treasury Challan of every label capacity wise label approval fee as prescribed by the Excise Commissioner from time to time, to the Assistant Excise Commissioner posted in the distillery, brewery or vintnery, who will forward them to the Excise Commissioner, or any officer authorized by the Excise Commissioner if approves the label shall number it and affix his official seal. One copy shall be retained in the Excise Commissioner's office for record, the remaining three copies shall be returned to the Assistant Excise Commissioner In-charge of the distillery, brewery or vintnery who shall give one copy each to the unit concerned and Excise Inspector In-charge of the unit for record and retain the third copy for his record. The licensee shall comply with such instructions as the Excise Commissioner may issue regarding any label.

(vi)(a) Before bringing any label into use, the licensee shall submit exact copies thereof in quadruplicate every year with Treasury Challan of every label capacity wise label approval fee as prescribed by the Excise Commissioner from time to time, to the Assistant Excise Commissioner posted in the distillery, brewery or vintnery, who will forward them to the Excise Commissioner, or any officer authorized by the Excise Commissioner if approves the label shall number it and affix his official seal. One copy shall be retained in the Excise Commissioner's office for record, the remaining three copies shall be returned to the Assistant Excise Commissioner In-charge of the distillery, brewery or vintnery who shall give one copy each to the unit concerned and Excise Inspector In-charge of the unit for record and retain the third copy for his record. The licensee shall comply with such instructions as the Excise Commissioner may issue regarding any label.

(b) The labels may be renewed for next year in accordance with conditions and process as prescribed by State Government.

(b) The labels may be renewed for the next year in accordance with the procedures subject to conditions as prescribed by the State Government.

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
(vii) On all the six faces of the cartons of foreign liquor manufactured or bottled in the state "For sale in UP" shall be printed in the minimum size of one inch black letters on a red strip of one and a half inch broad and shall be applied security code as approved by the Excise Department on packed cartons (cases), specific number of bottles of different volume, strength, brands and packaging type.	(vii) On all the six faces of the cartons of foreign liquor manufactured or bottled in the state "For sale in UP" shall be printed in the minimum size of one inch black letters on a red strip of one and a half inch broad and shall be applied security code as approved by the Excise Department on packed cartons (cases), specific number of bottles of different volume, strength, brands and packaging type.
(20)(i) Unless otherwise allowed by the Excise Commissioner all bottles shall be securely sealed with pilfer proof capsules or crown corks with alucapsules in such a way as to make it impossible to remove the seal without its being cut and/or broken. The capsules to be used on various kinds of liquor shall be of standard sizes and shall bear on the top the name of the licensee.	(20)(i) Unless otherwise allowed by the Excise Commissioner all bottles shall be securely sealed with pilfer proof capsules or crown corks with alucapsules in such a way as to make it impossible to remove the seal without its being cut and/or broken. The capsules to be used on various kinds of liquor shall be of standard sizes and shall bear on the top the name of the licensee.
(ii) The capsules to be used on liquor bottled for export to another State, Union Territory or Country shall bear such words as may be required by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.	(ii) The capsules to be used on liquor bottled for export to another State, Union Territory or Country shall bear such words as may be required by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.
(iii) The licensee shall invariably use the capsules which correspond to the pattern and specification approved by the "Indian Standard Institute" He shall comply with such instruction as may be issued by the Excise Commissioner from time to time.	(iii) The licensee shall invariably use the capsules which correspond to the pattern and specification approved by the "Indian Standard Institute" He shall comply with such instruction as may be issued by the Excise Commissioner from time to time.
(21) The licensee shall maintain account in the following registers;	(21) The licensee shall maintain account in the following registers :
(i) Register in form FLB-3, in which the licensee shall enter the quantity, description and strength of liquor received /issued for bottling.	(i) Register in Form F.L.B.-3, in which the licensee shall enter the quantity, description and strength of liquor received and issued for bottling.
(ii) Register in form FLB-4 in which the licensee shall enter the bottling operations carried on by him.	(ii)Register in Form F.L.B.-4, in which the licensee shall enter the bottling operations carried on by him.
(iii) Register in Form, FLB-5 in which the licensee shall enter daily account of foreign liquor bottled and stored in the licensed premises.	(iii) Register in Form F.L.B.-5, in which the licensee shall enter daily account of foreign liquor bottled and stored in the licensed premises.
(iv) Ledger in FLB-6 in which the licensee shall enter the abstract of all the transactions in the licensed premises.	(iv) Ledger in Form F.L.B.-6, in which the licensee shall enter the abstract of all the transations in the licensed premises.

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
(v) Register in form FLB-7 in which the licensee shall enter the stock of bulk (un-bottled) and bottled liquor at the end of a month.	(v) Register in Form F.L.B.-7, in which the licensee shall enter the stock of bulk (unbottled) as shown by PLC through Radar based Level Transmitter and bottled liquor at the end of a month."
(vi) Gauge register of vats in form, FLB-8.	(vi) 'level-volume' table of vats certified by the authorize authority in Form F.L.B.-8
(vii) Dip book in form FLB-9.	(vii) 'level-volume' table of vats in Form F.L.B.-9
(viii) These forms will be maintained in digital form also and be submitted online on designated portal of Excise Department daily.	(viii) These forms will be maintained in digital form also and be submitted online on designated portal of Excise Department daily.
(22) The licensee shall apply Security code as approved by the Excise Department on packed carton (case) with specific number of bottles of different volume, strength, brand and packaging type, in addition to each and every bottle/mono carton/Cans/tetrapack or any other container of Spirit /Beer/Wine and low alcoholic beverages, immediately after bottling and before issue of spirit/beer/ wine/Low Alcoholic Beverages as a proof of payment of consideration fees and the Distillers/Brewers/Vintners shall ensure compliance of necessary arrangement in this regard. This will be maintained in digital form also and be submitted online on designated portal of Excise Department daily.	(22) The licensee shall apply Security code as approved by the Excise Department on packed carton (case) with specific number of bottles of different volume, strength, brand and packaging type, in addition to each and every bottle/mono carton/Cans/tetrapack or any other container of Spirit /Beer/Wine and low alcoholic beverages, immediately after bottling and before issue of spirit/beer/ wine/Low Alcoholic Beverages as a proof of payment of consideration fees and the Distillers/Brewers/Vintners shall ensure compliance of necessary arrangement in this regard. This will be maintained in digital form also and be submitted online on designated portal of Excise Department daily.
(23) The licensee shall print the maximum retail price on the labels of Indian Made Foreign Liquor, Beer and Wine to be sold in Uttar Pradesh which shall be easily visible.	(23) The licensee shall print the maximum retail price on the labels of Indian Made Foreign Liquor, Beer and Wine to be sold in Uttar Pradesh which shall be easily visible.
(24) Bottling unit shall make all such arrangements prescribed in Solid Waste Management Rules, 2016 for recycling and management of solid wastes.	(24) Bottling unit shall make all such arrangements prescribed in Solid Waste Management Rules, 2016 for recycling and management of solid wastes.

Register prescribe in Form F.L.B.-7, F.L.B.-8 and F.L.B.-9 shall be amended as given below :

F.L.B. 7

(See Rule 6(3) & (21))

Monthly stock taking book of Bulk (un-bottled) foreign liquor and bottled foreign liquor in the licensed premises of Bottling at.....district.....month.....20.....

A-STOCK OF BULK (UN BOTTLED) FOREIGN LIQUOR

Description of Liquor	Number of Vat	Reading of Liquid lavel measured by RBT	Strength	Bulk Litres	A. litres	Remarks

B-STOCK OF BOTTLED FOREIGN LIQUOR

Description of Liquor	Number of Bottles								Quantity in bulk Litres	Strength	Quantity in A. Litres
	750 ml.	650 ml.	600 ml.	500 ml.	325 ml.	300 ml.	250 ml.	180 ml.			
Total											
Grant Total											

F.L.B. 8

(See Rule 6(3) & (21))

level Indicator Register of vats

No.....

Table of dimensions	Alcohol/Liquor Level centimeters	Litres
	Onefifth of centimeter of level	
	0 2 4 6 8	

F.L.B. 9

(See Rule 6(3) & (21)

level Indicator Book

Date	**Time**	**Vat No.**	**Reading of RBT**	**Strength**	**Bulk Litre**	**A. Litre**	**Remarks**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

By order,
P. GURU PRASHAD,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0—15 असाधारण गज़ट आबकारी—07-10-2020-400 प्रतियां (डी0टी0पी0 / आफसेट)।